File No.1-10002(099)/1/2023- -10-

संख्या- 780/एक-10-2020-33(1)/2022

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 19/06/2023

विषयः-कोविड-19 महामारी के दौरान परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी आकस्मिक बस सेवा के देयकों की बकाया धनराशि रू0 348.89 करोड़ के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-237/बकाया/22-250 बकाया/2020, दिनांक 16.11.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 के दृष्टिगत लॉक डाउन के दौरान दिल्ली एवं मथुरा वार्डर पर एकत्रित प्रवासी मजदूरों/श्रमिकों, प्रदेश के विभिन्न जनपदों के कारागार से रिहा किये गये वन्दियों, प्रदेश के विभिन्न जनपदों के सेल्टर होम्स प्रवासियों, राजस्थान राज्य के जनपद कोटा में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश राज्य में प्रवास कर रहे उत्तर प्रदेश श्रमिकों/मजदूरों इत्यादि को उनके गन्तव्य तक पहुचाने में उ0 प्र0 परिवहन निगम द्वारा दिनांक 28.03.2020 से दिनांक 06.03.2021 के मध्य प्रदान की गयी आकस्मिक बस सेवाओं की देयकों की बकाया धनराशि का भुगतान उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवशेष धनराशि रू0 3,48,89,00,000/-(रूपये तीन अरब अड़तालीस करोड़ नवासी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

(2) स्वीकृति धनराशि का भुगतान उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को आकस्मिक बस सेवाओं की बकाया देयकों के भुगतान हेतु निगम से बकाया देयक का विवरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अविलम्ब किया

जायेगा।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(6) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-0611-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by सुधीर गर्ग
Date: 19-06-2023 17:30:28
Reason: Approved
(सुधीर गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-780(1) /एक-10-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार प्रथम, आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. वरिष्ठ वित एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
8. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

9. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
10.वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभु एन० सिंह)
सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-30/06/2023

प्रेषण संख्या:- 780
आवंटन आदेश संख्या:- 001-780
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4063-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ , --01--	वर्तमान	3488900000	3488900000
		प्रगामी	3488900000	3488900000
	योग	वर्तमान	3488900000	3488900000
		प्रगामी	3488900000	3488900000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन अरब अड़तालीस करोड़ नवासी लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन अरब अड़तालीस करोड़ नवासी लाख

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by akhilesh pratap singh
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2023.06.30 05:18:23 +05:30